

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1901]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2015/भाद्र 16, 1937

No. 1901]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2015/BHADRA 16, 1937

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2015

का.आ. 2436(अ).—केंद्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिल्मों के ट्रेलर या प्रोमो के प्रमाणित वृत्तांत के किसी दृश्य या दृश्यों के अनुक्रम को हटाने के लिए, जिनके परिणामस्वरूप बिना किसी उपांतरण के पहले से ही प्रमाणित ट्रेलर या प्रोमो की लंबाई कम हो जाती है, उक्त अधिनियम के भाग 2 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट फिल्मों के प्रमाणीकरण से संबंधित उपबंधों से छूट प्रदान करती है:

परंतु यह कि लघु किया गया ट्रेलर या प्रोमो पहले से ही अनापत्ति किए गए संदेश को परिवर्तित नहीं करेगा।

[फा. सं. एम-11015/2/2015-डीओ (एफसी)]

के. संजय मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2015

S.O. 2436(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby exempts the provisions relating to certification of films, contained in Part II of the said Act and rules made thereunder, for any deletion of a scene or sequence of a scene of the certified version of trailers or promos of films which results in shortening the length of the already certified trailers or promos without any modification:

Provided that the shortened trailer or promo shall not alter the message already cleared.

[F. No. M-11015/2/2015-DO (FC)]

K. SANJAY MURTHY, Jt. Secy.